भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या. 3228

(जिसका उत्तर सोमवार, 16 दिसंबर, 2024/25 अग्रहायण, 1946 (शक) को दिया गया)

मुंबई के विमानपत्तनों की जांच

3228. श्री तारिक अनवर:

क्या **कारपोरेट कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मुंबई के दो विमानपत्तनों के लेखाओं की जांच पूरी कर ली है और यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है;
(ख) क्या नीति आयोग की आपत्तियों के बावजूद, सरकार जांच को वर्तमान दो विमानपत्तनों से आगे बढ़ाकर सभी छह विमानपत्तनों को इसमें शामिल करने की योजना बना रही है;
(ग) क्या सरकार इन विमानपत्तनों के प्रचालन और रखरखाव की संयुक्त संसदीय समिति से जांच कराने पर विचार कर रही है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री।

(श्री हर्ष मल्होत्रा)

(क): नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड और मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड सहित जीवीके ग्रुप की 9 कंपनियों के मामलों की जांच का आदेश कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 210(1)(ग) के तहत 05.09.2023 को अधिनियम के अपराधों/उल्लंघनों की जांच करने और रिपोर्ट देने का आदेश दिया गया था। जांच की जा रही है।

(ख): इस समय, अन्य कंपनियों के लिए जांच का दायरा बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) और (घ): मंत्रालय के पास ऐसी कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

****